

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 863 / 2022

दिनांक 10.03.2022

सुश्री हिमानी कच्छवाह (RJ1375), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, बाड़मेर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 31.01.2022 से 06.02.2022 तक 07 दिनों का क्वारेटाईन अवकाश (Quarantine Leave) ।
2. दिनांक 07.02.2022 से 09.02.2022 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश ।

सुश्री कच्छवाह की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, बाड़मेर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, बाड़मेर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 09.03.2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/128/2020/1972

दिनांक 10.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को उनके पत्रांक 1848 दिनांक 16.02.2022 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री हिमानी कच्छवाह (RJ1375), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, बाड़मेर ।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, बाड़मेर ।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, बाड़मेर ।

सहायक रजिस्ट्रार